प्रेस नोटः—

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक—01.05.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग—

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न—भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **49 वाहनों से मु0— 12700 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियानः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने—अपने थाना क्षेत्रों में अलग—अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़—भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़—भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भा0द0वि0/34 पुलिस अधिनियम में 38 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल—13 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 30.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल— 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 407 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है—

थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. संतोष सिंह पुत्र लक्ष्मण नि0 छिटनापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 18 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—103/19, 02. रवि कुमार पुत्र सुकई नि0 मछुबर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 19 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—105/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. केशवराम पुत्र स्वः बल्लूर नि0 मछुबर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—131/19, 02. ज्ञान धर पुत्र रामलाल नि0 रागी थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—132/19, 03. दशरथ पुत्र नन्द लाल नि0 महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—133/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राधव राम पुत्र राम छबीले निवासी लाला बभनी बसंतपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—140/19, 02. हंसराज पुत्र गया प्रसाद नि0 लीला बभनी बसंतपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—141/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

280 ली0 अवैध जहरीली शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद–02 अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना को0 देहात पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों–रिंकू सिंह पुत्र प्रेम सिंह, 02. वीरू सिंह पुत्र राधिका सिंह नि0 सदियापुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 280 ली0 अवैध मिश्रित जहरीली शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर थाना को0 देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 139/19 धारा 272.273 भादवि ,60/60(2) आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 30.04.2019 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सदियापुर मे कुछ लोग अवैध कच्ची शराब बना रहे है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक को0 देहात राजनाथ सिंह मय हमराह फोर्स के साथ मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर पहुॅचकर 280 ली0 अवैध जहरीली शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0 देहात में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।